भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4968

01 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सीय उपचार की विभिन्न पद्धतियों के बीच विचार-विमर्श

4968. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गंभीर प्रकृति के रोगों से पीड़ित रोगियों के प्रभावी उपचार हेतु आगे का रास्ता तैयार करने के लिए चिकित्सा उपचार की विभिन्न पद्धतियों के चिकित्सकों के मध्य दीर्घकालिक संवाद आयोजित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो मनुष्यों को बीमारी से मुक्त रखने के इस प्रस्ताव पर सरकार का क्या विचार है;

(ग) क्या सरकार चिकित्सा विशेषज्ञों और औषधीय उपचार की विभिन्न प्रणालियों से संबंधित प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों का एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठित करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख):

(i) शिक्षा और चिकित्सा अभ्यास के संबंध में अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ संवाद के उद्देश्य से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 में तीन आयोगों के बीच संयुक्त बैठकें करने के लिए प्रावधान है।

(ii) सबसे गंभीर रोग कैंसर की रोकथाम के उद्देश्य से, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर में आयुर्वेद और इंटीग्रेटिव ऑनकालोजी स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआई) के बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, झज्जर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे चिकित्सा पद्धतियों के समेकन की क्षमताओं का पता चलेगा।

(iii) रोगियों को एक स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का विकल्प देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना की कार्यनीति अपनाई है। आयुष चिकित्सकों/पराचिकित्सकों की नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण के लिए सहायता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी जाती है, जबकि आयुष अवसंरचना, उपकरण/फर्नीचर तथा औषधियों के लिए सहायता राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार, मंत्रालय स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से एनएएम के जरिए आयुष औषधालयों और मौजूदा उप स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन द्वारा आयुष स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों का प्रचालन भी कर रहा है।

(iv) आयुष मंत्रालय ने प्रोफेसर भूषण पटवर्धन की अध्यक्षता में एक अंतर-विषयक आयुष आर एंड डी (अनुसंधान एवं विकास) कार्यदल का गठन किया है जिसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) तथा आयुष संस्थानों के वैज्ञानिक प्रतिनिधि शामिल हैं। अंतरविषयक आयुष अनुसंधान और विकास कार्यदल ने नैदानिक अनुसंधान प्रोटोकॉल तैयार और डिजाइन किए हैं ताकि चार अलग-अलग उपचारों यथा अश्वगंधा, यष्टिमधु, गुडुची+पिप्पली और एक पॉली हर्बल औषधयोग (आयुष-64) के अध्ययन हेतु देशभर के विभिन्न संगठनों के उच्च प्रतिष्ठित विशषज्ञों के परामर्श और गहन समीक्षा के जरिए कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों में रोगनिरोधक अध्ययन और सहायक उपचार किया जा सके।

(v) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) को शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी है। तदनुसार, एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम को राष्ट्रीय आयुष मिशन के दिशानिर्देशों में शामिल कर लिया गया है और इन्हें 6 राज्यों में क्रियान्वयन के लिए राज्यों में परिचालित किया गया है।

(vi) मंत्रिमंडल ने वर्ष 2014-15 में नए और आगामी एम्स में आयुष को शामिल करने का निर्णय लिया था। इस संबंध में, सचिव (आयुष) और संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 20.09.2017 को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सूचित किया गया था कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कुल 19 एम्स की स्थापना की जा रही है और आयुष चिकित्सा पद्धतियां सभी एम्स में शामिल की जाएंगी।

विचार-विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि मुख्य रूप से आयुर्वेद, होम्योपैथी और योग को नए एम्स में शामिल किया जाएगा। आयुर्वेद को देश के पश्चिम, मध्य और उत्तर जोन में आरंभ होने वाले नए एम्स में तथा होम्योपैथी को पश्चिम बंगाल के नए एम्स में शामिल किया जाएगा। यह निर्णय भी लिया गया था कि सभी 19 नए एम्स में योग को शामिल किया जाएगा। समेकन के दूसरे चरण में अन्य आयुष चिकित्सा पद्धतियों को शामिल करने की संभावना खोजी जाएगी। चूंकि एम्स केवल चिकित्सा कॉलेज नहीं हैं बल्कि इनमें अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना भी मौजूद होगी, इसलिए इनका आयुष में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। नए एम्स के नाम और आयुष के समेकन की प्रस्तावित रूपरेखा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**नया एम्स**	**राज्य का नाम**	**स्थान**	**आयुष चिकित्सा पद्धतियां**
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	मध्य प्रदेश	भोपाल	आयुर्वेद
2.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	ओडिशा	भुवनेश्वर	होम्योपैथी
3.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	राजस्थान	जोधपुर	आयुर्वेद

4.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	बिहार	पटना	आयुर्वेद
5.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	छत्तीसगढ़	रायपुर	आयुर्वेद
6.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	उत्तराखंड	ऋषिकेश	आयुर्वेद
7.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	आंध्र प्रदेश	मंगलगिरी	आयुर्वेद
8.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	महाराष्ट्र	नागपुर	आयुर्वेद
9.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	आयुर्वेद
10.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	पश्चिम बंगाल	कल्याणी	होम्योपैथी
11.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	असम	कामरूप	आयुर्वेद
12.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	बिहार	बिहार	होम्योपैथी
13.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	आयुर्वेद
14.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	जम्मू और कश्मीर	सांबा जम्मू	आयुर्वेद
15.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	जम्मू और कश्मीर	पुलवामा कश्मीर	आयुर्वेद
16.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	पंजाब	भठिंडा	आयुर्वेद
17.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	तमिलनाडु	तमिलनाडु	सिद्ध
18.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	गुजरात	गुजरात	आयुर्वेद
19.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	झारखंड	देवगढ़	होम्योपैथी

बैठक के निम्नलिखित परिणाम थे:

- **एम्स के आयुष विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप**
  एम्स में आयुष विंग को आयुर्वेद/होम्योपैथी विभाग इत्यादि, जैसा भी मामला हो, कहा जाएगा। आयुष विभाग ओपीडी और आईपीडी जैसे नैदानिक कार्यकलाप देखेगा। यह विभाग एकीकृत प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए अन्य विभागों के सहयोग से कार्य करेगा, एकीकृत प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए अन्य विभागों से सहयोग करेगा, सहयोगात्मक अनुसंधान करेगा और एलोपैथी संकाय के लिए सीएमई, नैदानिक बैठकों इत्यादि का आयोजन और आयुष को बढ़ावा देने के लिए ऐसे अन्य कार्यकलाप करेगा। स्थापित किए जाने वाला आयुष विभाग एलोपैथी के योग्य अभ्यर्थियों को आयुर्वेद में पीएचडी करने में भी सहायता करेगा।

(ग) और (घ): जी नहीं, इस समय चिकित्सा उपचार की विभिन्न पद्धतियों से संबंधित प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के चिकित्सा विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के उच्च स्तरीय कार्य समूह के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****